

Scortial
29.08
Encl (34)

1.9.08

प्रेषक.

मो० शफीक,
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिबंधक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

संख्या-1668/दो-4-2008

858

Register No.
File No.	W/3296
Serial No.	19

5/9

8-9-08
15-10-08

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2008

विषय:- अंशदायी पेंशन योजना के तहत खाता संख्या आवंटन करने एवं नियुक्ति की तिथि से वेतन से अंशदान की कटौती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निम्न लिखित न्यायिक अधिकारियों के शासन में प्राप्त हुए निम्नांकित प्रार्थना पत्रों जो आपको सम्बोधित हैं को मूलरूप में आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजने का मुझे निदेश हुआ है:-

न्यायिक अधिकारियों का नाम
तथा पदनाम

प्रार्थना पत्रों का
दिनांक

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| 1- श्री अतुल सिंह
अपर सिविल जज (जू०डि०) न्यायिक मजि० रायबेली। | 5-7-08 |
| 2- श्री रामबाबू यादव, अपर सिविल जज(जू०डि०)/न्या०मजि०,
रायबरेली। | 7-7-08 |
| 3- श्रीमती निशा सिंह, अपर सिविल जज (जू०डि०) वाराणसी | 25-6-08 |
| 4- श्री चन्द्र मणि मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, तृतीय वाराणसी | 25-6-08 |
| 5- श्री गौरव कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम, वाराणसी | 25-6-08 |
| 6- श्री राधेमोहन श्रीवास्तव, अपर सिविल जज (जू०डि०) वाराणसी | 25-6-08 |
| 7- श्री आलोक द्विवेदी सिविल जज (जू०डि०) हवाली वाराणसी | 25-6-08 |
| 8- श्री निर्भय नारायण राय, न्या०मजि० द्वितीय, वाराणसी | 25-6-08 |
| 9- श्री प्रकाश तिवारी, अपर सिविल जज(जू०डि०) वाराणसी | 25-6-08 |
| 10- श्री सिद्धार्थ सिंह, अपर सिविल जज(जू०डि०) वाराणसी | 25-6-08 |

संलग्नक:- यथोक्त।

2

PSTORQ.

with encl

संख्या-1668(1)/दो-4-2008 तददिनांक।

प्रतिलिपि, उपरलिखित न्यायिक अधिकारियों को, उनके इंगित प्रार्थना-पत्रों के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय,

(मो० शफीक)
उप सचिव

(मो० शफीक)
उप सचिव

J.R.(M)/D.R.(AIC)

As per
11 SEP 2008

Registration (B)

Reg. No.
02.08.08

Reg. No.
02.09.08

J.R.(M)
02-09-08

R.K.S.
15-10-08

28

J.R(M)

Necessary action in
this matter has already
been taken in this matter
vide this Court letter dated
4.10.08.

For information may
filed

Pinks

10/10/08

~~10-11-08~~
10-11-08

File
S.K. Shukla
20-11-08

9/ J.R.

प्रेषक ,

सिद्धार्थ सिंह,
अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0 6
वाराणसी।

1660/को-400
Receipt 74

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

51

द्वारा

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषय:-

अंशदायी पेंशन योजना के तहत खाता संख्या आबंटन करने एवं
नियुक्ति की तिथि से वेतन से अंशदान की कटौती के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासनादेश संख्या 3-379/10-2005-301(9)-2003 दिनांक 28.3.2005 के द्वारा राजकोषीय हितों को देखते हुये एक अप्रैल 2005 से अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू की गयी है जिसके तहत वेतन व महंगाई भत्ता के 10 प्रतिशत के तुल्य धनराशि का मासिक अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है किन्तु उक्त अनिवार्य अंशदायी पेंशन योजना में स्वैच्छिक अंशदान करने हेतु आवेदक को खाता संख्या आबंटित नहीं है, फलस्वरूप एक अप्रैल 2005 के उपरान्त नियोजन में आने के पश्चात प्रार्थी को अनिवार्य स्वैच्छिक पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश के तहत नियोक्ता द्वारा खाता संख्या आबंटित किये जाने एवं नियुक्ति की तिथि से वेतन से अंशदान की कटौती की कृपा करें।

'ससम्मान'

भवदीय,

S. Singh

(सिद्धार्थ सिंह)

अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0 6
वाराणसी।

दिनांक: 25.6.08 ई0

प्रतिलिपि:

✓ प्रमुख सचिव नियुक्ति अनुभाग-4

उ0प्र0 शासन लखनऊ

संलग्नक:-

Office of the District Judge Varanasi

No. 7420/12 Date 21.7.08

Forwarded.

District Judge
Varanasi

क्रम-संख्या-79(क-1)



रजि० नं० एल. डब्लू. / एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू. पी०-11

लाइसेन्स नं० पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख).

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 28 मार्च, 2005

चैत्र 7, 1927 शक संभवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा-3-379 / दस-2005-301(9)-2005

लखनऊ, 28 मार्च, 2005

अधिसूचना

प० आ०-124

राज्य सरकार ने, अपने दीर्घकालीन राजकोपीय हितों और केंद्र सरकार द्वारा उपगाई गई रीति को विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना को भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समर्पित निधि से किया जाता है, नये प्रदेशकों पर वर्तमान में परिभाषित लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है :-

(i) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 1 अप्रैल, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी; तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवारत 1 अप्रैल, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो, जो वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और महंगाई भत्त की 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। तथापि सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक वे संस्थायें ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हों जायें। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा; जो पेंशन टियर-1 खाता होगा। सेवा अर्वाधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रदेशकों को जो नई परिभाषित

Report 95 IX 2
IX 2

अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, परिभाषित लाभ पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ नहीं प्राप्त होंगे।

(iii) चूंकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे अतः वे पेंशन एक-टियर खाते के अतिरिक्त एक स्टेब्लिज्ड दो-टियर खाता भी रख सकते हैं। तथापि, सेवायोजक टियर-दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। दो-टियर खाते में अस्थिरता का निवेश/प्रयत्न ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायगा जो पेंशन एक-टियर खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने धन के "द्वितीय टियर" के संपूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) यौव कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-1 को सामान्यतया छोड़ सकेंगे। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता-प्राप्त बीमा कंपनी से एक वार्षिकी का क्रय करे और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 60 प्रतिशत का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिता के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एक मुश्त रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी रीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 60 प्रतिशत होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विगत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सकें।

2-नवीन पेंशन प्रणाली के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 होगा।

आज्ञा से,
रीता शर्मा,
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।

No. O-3-379/X-2005-301(9)-2003
Dated Lucknow, March 28, 2005

The State Government, in consideration of its long-term fiscal interest and following broadly the pattern adopted by the Central Government, has approved the following proposal of introducing a new defined contribution pension system in place of the existing defined benefit pension scheme, for new entrants to the service of the State Government and of all State-controlled autonomous institutions and State-aided private educational institutions where the existing pension scheme is patterned on the scheme for Government employees and is funded by the consolidated fund of the State Government :-

(i) From 1st of April, 2005, the new defined contribution pension system would mandatorily apply to all new recruits to the service of the State Government and of all State-controlled autonomous/State aided private educational institutions referred to above. However, employees covered by the existing pension scheme whose service would be of less than ten years on 1st April, 2005, may also voluntarily opt for the new pension system in place of the existing pension scheme.

(ii) Under the new defined contribution pension system, the employee would make a monthly contribution equal to 10 per cent of the salary and dearness allowance. A matching employer's contribution would be made by the State Government or by the concerned autonomous institution/private educational institution. However, the State Government would provide grant to the concerned autonomous institution/private educational institution for making employer's contribution until the institution is in a position to make the contribution itself. The

contribution and investment returns would be deposited in an account to be known as pension tier-I account. No withdrawal would be allowed from this account during the service period. The existing provisions of defined benefit pension and GPF would not be available to the new recruits covered by the new defined contribution pension system.

(iii) Since new recruits would not be able to subscribe to GPF, they may also have a voluntary tier-II account, in addition to the pension tier-I account. However, employer would make no contribution to tier-II account. The assets in tier-II account would be invested/managed through exactly the same procedure as for pension tier-I account. However, the employee would be free to withdraw part or all of the "second tier" of his money anytime.

(iv) Employee can normally exit tier-I of the pension system at the time of retirement. At exit the employee would be mandatorily required to invest 40 per cent of pension wealth to purchase an annuity from a recognised insurance company so as to provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement. The remaining pension wealth would, however, be received by the employee as a lump-sum which he would be free to utilise in any manner. In case of employee exiting the pension tier-I before retirement, the mandatory annuitisation would be 80 per cent of the pension wealth.

(v) There would be several pension fund managers who would offer mainly three categories of investment options. The pension fund managers and the record-keeper would jointly give out easily understood information about past performance so that the employee is able to make informed choices of the investment options.

2. The effective date for operationalisation of the new pension system shall be 1st of April, 2005

By order,

RETA SHARMA,

Joint Ayukta Evam Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-६० पी०-१० राजपत्र-(हिन्दी)-२००५-(७०)-५९७-(कम्प्यूटर/आफरोट)।

पी० एस० यू० पी०-६० पी०-१० वित्त-७००५-(७१)-१०,०००-(कम्प्यूटर/आफरोट)।

oll

Regd. Post

By Regd. Post

From,
Sri Beche Lal,
Joint Registrar (M),
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,
The Special Secretary,
Appointment Section - 4,
Government of U.P.,
Lucknow.

No. 12840 / IV - 3296 / Admin. A / Allahabad, Dated 4-10-08


Subject: Regarding allotment of account under contributory pension scheme and for making deduction of amount from pay under Head of contributory pension scheme from the date of his appointment of Sri Siddhartha Singh, Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi

Sir,

I am directed to send herewith ~~the~~ a copy of application dated 25.06.2008 of Sri Siddhartha Singh, Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi bearing endorsement no. 742 / I, dated 02.07.2008 of the District Judge, Varanasi, on the above subject, and to request you kindly to obtain necessary orders in this matter and communicate to this Court at an early date, so that necessary action may be taken in this matter

Encl.- Application dated
25.06.2008.

Yours faithfully


10.9.08

Joint Registrar

21


No. 12841 / IV - 3296 / Admin. A / Allahabad, Dated 4-10-08

Copy forwarded for information and necessary action to:-

(7) The District Judge, Varanasi, with reference to his endorsement no. 742/I, dated 02.07.2008.

(8) Sri Siddhartha Singh, Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Varanasi.

J.R.(M)
Mangissee?


10.9.08

Joint Registrar

Prinhs
9/9/08
Siddhartha
09-09-08

10852

IV 3296

17

सिद्धार्थ सिंह,
अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0 6
वाराणसी।

15/7/08

15/7/08

31/7/08

Report

29.8.08

(436)

प्रेषक,

(67)

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

406
8-7-08

द्वारा

श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वाराणसी।

विषय:-

अंशदायी पेंशन योजना के तहत खाता संख्या आबंटन करने एवं
नियुक्ति की तिथि से वेतन से अंशदान की कटौती के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासनादेश

संख्या 3-379/10-2005-301(9)-2003 दिनांक 28.3.2005 के द्वारा राजकोषीय
हितों को देखते हुये एक अप्रैल 2005 से अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से
लागू की गयी है जिसके तहत वेतन व महंगाई भत्ता के 10 प्रतिशत के तुल्य
धनराशि का मासिक अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जाना है किन्तु उक्त
अनिवार्य अंशदायी पेंशन योजना में स्वैच्छिक अंशदान करने हेतु आवेदक को खाता
संख्या आबंटित नहीं है, फलस्वरूप एक अप्रैल 2005 के उपरान्त नियोजन में आने
के पश्चात प्रार्थी को अनिवार्य स्वैच्छिक पेंशन योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा
है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश के तहत नियोक्ता
द्वारा खाता संख्या आबंटित किये जाने एवं नियुक्ति की तिथि से वेतन से अंशदान
की कटौती की कृपा करें।

'ससम्मान'

भवदीय,

S. Singh

(सिद्धार्थ सिंह)

अपर सिविल जज (जू0डि0) कक्ष सं0 6
वाराणसी।

Registrar (Budget)

Registrar General

10-07-08

दिनांक: 25.6.08 ई0

प्रतिलिपि:

प्रमुख सचिव नियुक्ति अनुभाग-4
उ0प्र0 शासन लखनऊ

9 JUL 2008

Office of the District Judge Varanasi

No. 742/E Date. 2/7/08

Forwarded.

District Judge
Varanasi

Encl-3



Report 11

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 28 मार्च, 2005

चैत्र 7, 1927 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या सा-3-379/दस-2005-301(9)-2003

लखनऊ, 28 मार्च, 2005

अधिसूचना

प० आ०-124

राज्य सरकार ने, अपने दीर्घकालीन राजकोषीय हितों और केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई रीति के विस्तृत अनुसरण को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समर्पित निधि से किया जाता है, नये प्रवेशकों पर वर्तमान में परिभाषित लाभ पेंशन योजना के स्थान पर नवपरिगणित अंशदान पेंशन योजना लागू करने के निम्नलिखित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है :-

(i) राज्य सरकारी सेवा में और ऊपर उल्लिखित राज्य नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं/राज्य सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नई भर्तियों पर 1 अप्रैल, 2005 से नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी। तथापि वर्तमान पेंशन योजना से आच्छादित ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवायें 1 अप्रैल, 2005 को 10 वर्ष से कम की हो, भी वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना का विकल्प दे सकते हैं।

(ii) नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन और महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान किया जायेगा। इसी के समतुल्य सेवायोजक का अंशदान राज्य सरकार अथवा सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्था/निजी शिक्षण संस्था द्वारा किया जायेगा। तथापि सम्बन्धित स्वायत्तशासी संस्थाओं/निजी शिक्षण संस्थाओं को सेवायोजक के अंशदान के लिए तब तक अनुदान दिया जायेगा जब तक ये संस्थाएँ ऐसा अंशदान करने हेतु स्वयं सक्षम न हों जायें। अंशदान तथा निवेश से होने वाली आय को एक खाते में जमा किया जायेगा। जो पेंशन टिथर-1 खाता होगा। सेवा अवधि में इस खाते से किसी भी आहरण की अनुमति नहीं दी जायेगी। नये प्रवेशकों को जो नई परिभाषित

Request 71

अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे, परिभाषित लाभ पेंशन सह सामान्य भविष्य निधि योजना के वर्तमान उपबन्धों के लाभ नहीं प्राप्त होंगे।

(iii) चूंकि नये भर्तीशुदा लोक सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने में सक्षम नहीं होंगे अतः वे पेंशन एक-टियर खाते के अतिरिक्त एक स्विचक दो-टियर खाता भी रख सकते हैं। तथापि, सेवायोजक टियर-दो खाते में कोई अंशदान नहीं करेगा। दो-टियर खाते में आस्तियों का निवेश/प्रयत्न ठीक उसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा जो पेंशन एक-टियर खाते के लिए है। तथापि, कर्मचारी अपने धन के "द्वितीय टियर" के संपूर्ण अंश या उसके किसी भाग को किसी भी समय निकालने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय पेंशन प्रणाली के टियर-1 को सामान्यतया छोड़ सकेगा। ऐसा करते समय कर्मचारी से अनिवार्य रूप से यह अपेक्षा की जायेगी कि वह किसी मान्यता-प्राप्त बीमा कंपनी से एक वार्षिकी का क्रय करें और उसमें अपनी पेंशन सम्पत्ति के 40 प्रतिशत का निवेश करें जिससे कि वह सेवानिवृत्ति के समय अपने जीवनकाल के लिए तथा उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके विवाहिती के लिए पेंशन की व्यवस्था कर सके। शेष पेंशन सम्पत्ति कर्मचारी द्वारा एक मुश्किल रूप में प्राप्त की जायेगी जिसे वह किसी भी शीति में उपभोग करने के लिए स्वतंत्र होगा। कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्ति के पूर्व ही पेंशन टियर-एक को छोड़ने की दशा में अनिवार्य वार्षिकीकरण निवेश पेंशन सम्पत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

(v) ऐसे अनेक पेंशन निधि प्रबन्धक होंगे जो मुख्य रूप से तीन श्रेणियों के निवेशपरक विकल्प प्रस्तावित करेंगे। पेंशन निधि प्रबन्धक तथा अभिलेखपाल संयुक्त रूप से अपने विपत कार्य-कलाप के बारे में आसानी से समझी जाने वाली सूचना देंगे जिससे कि कर्मचारी निवेशात्मक विकल्पों में से सूचित विकल्पों को चुन सकें।

2-नवीन पेंशन प्रणाली के प्रचालनीकरण के लिए प्रभावी दिनांक 1 अप्रैल, 2005 होगी।

आज्ञा से,
रीता शर्मा,
वित्त आयुक्त एवं प्रमुख सचिव।

No. G-3-379/X-2005-301(9)-2003
Dated Lucknow, March 28, 2005

The State Government, in consideration of its long-term fiscal interest and following broadly the pattern adopted by the Central Government, has approved the following proposal of introducing a new defined contribution pension system in place of the existing defined benefit pension scheme, for new entrants to the service of the State Government and of all State-controlled autonomous institutions and State-aided private educational institutions where the existing pension scheme is patterned on the scheme for Government employees and is funded by the consolidated fund of the State Government :-

(i) From 1st of April, 2005, the new defined contribution pension system would mandatorily apply to all new recruits to the service of the State Government and of all State-controlled autonomous/State aided private educational institutions referred to above. However, employees covered by the existing pension scheme whose service would be of less than ten years on 1st April, 2005, may also voluntarily opt for the new pension system in place of the existing pension scheme.

(ii) Under the new defined contribution pension system, the employee would make a monthly contribution equal to 10 per cent of the salary and dearness allowance. A matching employer's contribution would be made by the State Government or by the concerned autonomous institution/private educational institution. However, the State Government would provide grant to the concerned autonomous institution/private educational institution for making employer's contribution until the institution is in a position to make the contribution itself. The

Request 75

contribution and investment returns would be deposited in an account to be known as pension tier-I account. No withdrawal would be allowed from this account during the service period. The existing provisions of defined benefit pension and GPF would not be available to the new recruits covered by the new defined contribution pension system.

(iii) Since new recruits would not be able to subscribe to GPF, they may also have a voluntary tier-II account, in addition to the pension tier-I account. However, employer would make no contribution to tier-II account. The assets in tier-II account would be invested/managed through exactly the same procedure as for pension tier-I account. However, the employee would be free to withdraw part or all of the "second tier" of his money anytime.

(iv) Employee can normally exit tier-I of the pension system at the time of retirement. At exit the employee would be mandatorily required to invest 40 per cent of pension wealth to purchase an annuity from a recognised insurance company so as to provide for pension for the lifetime of the employee and his dependent parents and his spouse at the time of retirement. The remaining pension wealth would, however, be received by the employee as a lump-sum which he would be free to utilise in any manner. In case of employee exiting the pension tier-I before retirement, the mandatory annuitisation would be 80 per cent of the pension wealth.

(v) There would be several pension fund managers who would offer mainly three categories of investment options. The pension fund managers and the record-keeper would jointly give out easily understood information about past performance so that the employee is able to make informed choices of the investment options.

2. The effective date for operationalisation of the new pension system shall be 1st of April, 2005.

By order,

RITA SHARMA,

Vitta Ayukta Evam Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०-२० पी०-४० राजपत्र-(हिन्दी)-२००५-(७०)-५०७-(कम्प्यूटर/आफरोट)।

पी० एस० यू० पी०-२१ पी०-४० शिस्त-२००५-(७१)-१०,०००-(कम्प्यूटर/आफरोट)।